उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक B/1746 /लेखा चार-12-29/09 जबलपुर, दिनांक 18 मार्च, 2019

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-4-2/2018/नियम चार दिनांक 06.03.2019 जो कि राज्य शासन के कर्मचारियों को मँहगाई भत्ते की स्वीकृति से संबंधित है, की प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0प्र0, खंडपीठ ग्वालियर/इन्दौर।
2. रजिस्ट्रार (प्रशासन/ न्यायिक-1 एवं 2/ डी0ई0/ व्ही0एल0/ इन्सपेक्शन एव लिटिगेशन/ पी0पी0एस0/ ओ0एस0डी0 एक्जाम एवं लेब ज्यूडिशियरी/सचिव हाईकोर्ट विधिक सेवा समीति) उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
3. संचालक, राज्य न्यायिक अकादमी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिव अधिकरण भवन, जबलपुर।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण भवन, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
5. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश----------(म0प्र0)।
7. पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय----------(म0प्र0)।
8. विशेष न्यायाधीश,----------(म0प्र0)।
9. रजिस्ट्रार जनरल, के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
10. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)/प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (इन्सपेक्शन एवं विजिलेंस) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई0एल0आर0 एवं एक्जाम)/प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (एक्जाम ए ट्रेनिंग), उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
11. बजट अधिकारी/लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
12. डिप्टी रजिस्ट्रार ई/न्यायिक-1 एवं 2, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
13. श्री/श्रीमती/कु0/सुश्री----------अनुभाग अधिकारी/ इंचाज उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
14. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/अवकाश/पेंशन, वेतन पत्रक (राजपत्रित) एवं वेत पत्रक लेखा शाखा।
15. प्रभारी आई.टी. विंग, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर उच्च न्यायाल म0प्र0 की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(व्ही0एन0 बाजपेयी)
लेखा अधिकारी

वित्त विभाग
बल्लभ भवन–मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक एफ 4–2/2018/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 6 मार्च,2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः– शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी को देय मंहगाई भत्ते की दर में दिनांक 01 जुलाई, 2018 से वृद्धि ।

00000000000000

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4–1/2017/नियम/चार दिनांक 16 मई 2018 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह जनवरी, 2018 से सातवें वेतनमान में 7% की दर से तथा छटवें वेतनमान में 142% की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है ।

2/– राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी को निम्नानुसार दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये :–

अवधि जब से देय है	महँगाई भत्ते का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01.07.2018 से (माह जुलाई, 2018 का वेतन जो अगस्त, 2018 में देय होगा)	2% (कुल 9%)
छटवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01.07.2018 से (माह जुलाई, 2018 का वेतन जो अगस्त, 2018 में देय होगा)	6% (कुल 148%)

3/– माह जुलाई 2018 से माह फरवरी, 2019 तक (8 माह) की बढ़ी हुई राशि संबधित शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं को नगद भुगतान किया जाएगा ।

4/– मंहगाई भत्ते की गणना सातवें वेतनमान में निर्धारित मूल वेतन तथा छटवें वेतमान में वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग पर की जाएगी ।

5/ मंहगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

6/– मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नही माना जायेगा ।

7/– यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालु वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ताक्षर/–
(अनुराग जैन) प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 4–2/2018/नियम/चार
भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 2019

प्रतिलिपि :–

1. से लेकर 4. तक 5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
6. से लेकर 19, तक – – – – – – – – – – – – – – – – – – ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

हस्ताक्षर/–
(अजय चौबे)
उप सचिव
म0 प्र0 शासन, वित्त विभाग